न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:—08 / 2024 तारीख रजू:—02.12.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2024 / 160

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजेश पुत्र जोमल्या
2. शेरसिंह पुत्र जोमल्या
3. विजेन्द्र पुत्र जोमल्या
4. बबलू पुत्र जोमल्या
5. जसवीर पुत्र जोमल्या
6. रणजीत पुत्र जोमल्या
7. साहिल पुत्र विनोद
8. राहिल पुत्र विनोद
9. जीतू पुत्र विनोद
10. अंजू पुत्र विनोद
11. रज्जो पत्नि विनोद
12. तस्वीर पुत्र शैतान
13. जगवीर पुत्र शैतान
14. यशवंत पुत्र शैतान
15. राजीव पुत्र शैतान
16. कविता पुत्री शैतान
17. श्रीदेवी पुत्री शैतान
18. विशाखा पुत्री शैतान
19. कशीश पुत्री शैतान
20. काजल पुत्री शैतान
21. नरेन्द्र पुत्र शैतान
22. सीता पत्नि शैतान

समस्त जातियान कंजर, निवासीयान विनोबा बस्ती, आलनपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

—अपीलार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा, पंचायत समिति व तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. विक्की पुत्र रामफूल
3. विकास पुत्र रामफूल
4. विजय पुत्र रामफूल
5. सुशील पुत्र रामफूल
6. अक्षय पुत्र रामफूल
7. दिव्या पुत्री सुनील नाबालिग जरिये संरक्षक माता शिमला पत्नि सुनील कंजर निवासी चौथ का बरवाड़ा।
8. खुशी पुत्री सुनील नाबालिग जरिये संरक्षक माता शिमला।
9. लक्की पुत्र सुनील नाबालिग जरिये संरक्षक माता शिमला पत्नि सुनील कंजर निवासी चौथ का बरवाड़ा।
10. शिमला पत्नि सुनील
11. पिंकी पुत्री रामफूल
12. पिन्नो पुत्री रामफूल
13. रेनो पुत्री रामफूल
14. पतलो पुत्री रामफूल

    समस्त जातियान कंजर निवासीयान चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
15. कजोड़ी पत्नि रतन कंजर, निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
16. जनता पत्नि गिर्राज कंजर, निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
17. रूपाली पत्नि नरेश कंजर, निवासी भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
18. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—रेस्पोंडेंट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित—

वकील अपीलांट्स :—श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील रेस्पो0 संख्या :— श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट व [redacted] लोकेश कुमार सीठा एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

है तथा विनोद पुत्र जोमल्या कंजर की मृत्यु दिनांक 15.01.2017 को हो चुकी है। अपीलार्थीगण मृतक सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर के विधिक उत्तराधिकारी जोमल्या एवं शैतान पुत्र सरदारा कंजर के वारिसान हैं। जाजम एवं बाबूड़ी पुत्री सरदारा कंजर की अविवाहित लाऔलाद एवं निर्वसियत मृत्यु हो चुकी है।

❖ सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर भरा गया, जो मृतक सरदारा कंजर के वारिसान के नाम न भरकर रामफूल पुत्र सरदारा कंजर के नाम भरा गया, जबकि सरदारा का पुत्र रामफूल न होकर जोमल्या एवं शैतान है एवं रामफूल के पिता का नाम चिरंजी कंजर है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा बिना जांच किये ही अपीलार्थीगण के बुजुर्गान सरदारा पुत्र देवबक्सा के समस्त वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 तथा रेस्पो0 संख्या 10 लगायत 13 एवं 18 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 09 के दादीससुर रामफूल कंजर के नाम भरा गया, जो गलत एवं अवैध है। क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के समय मृतक सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर के विधिक वारिसान जोमल्या, शैतान (पुत्र), जाजम, बाबूड़ी (पुत्रियां) एवं कल्याणी के नाम भरा जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने फौरी तोर पर बिना जांच किये ही मृतक के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नहीं भरा जाकर गुप्त तरीके से मिलीभगत कर अन्य व्यक्ति को सरदारा का पुत्र मानकर उसके नाम भर दिया, जो गलत है। रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा कानून की पालना में नामान्तरकरण नहीं भरकर मनमर्जी से नामान्तरकरण भरा गया है। उक्त नामान्तरकरण का गलत फायदा उठाकर रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 13 एवं 18 ने रेस्पो0 संख्या 14, 15 व 16 के पक्ष में अवैध तरीके से विक्रय पत्र पंजीकृत करवाकर उसका नामान्तरकरण भरवाकर उसकी खातेदारी प्राप्त कर ली, व आगामी बेचान पर आमादा है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 29.11.2024को रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 16 से अपीलार्थीगण के बुजुर्गान सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर की छोड़ी हुई कृषि भूमि पर गलत दर्ज हुए नामान्तरकरण को निरस्त करवाकर अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करवाकर राजस्व [illegible] में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया। परन्तु रेस्पो0 द्वारा [illegible] यह अपील नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 रूपेदाद मिसल कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 बिना जांच एवं कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मृतक सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर के विधिक उत्तराधिकारियों को नजर अन्दाज कर भरा गया है। हिन्दु उत्तधिकार अधिनियम यह स्थापित करता है कि एक हिन्दु अविभाजित परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से सहदायिक बन जाता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलार्थियों के बुजूर्गान सरदार पुत्र देवबक्सा कंजर की मृत्यु पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थिया, जो मृतक के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारियों को नजर अन्दाज करते हुए रामफूल को सरदारा का पुत्र मानकर नामान्तरकरण भरा गया है, जो निरस्तनीय है।

- अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा गलत व कानून का उल्लंघन कर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम चौथ का बरवाड़ा को निरस्त करवाकर अपीलार्थीगण के नाम उसके हिस्से के आधार पर संशोधन करवाने हेतु रेस्पो0 से निवेदन किया तो अपीलार्थीगण को मृतक सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर का उत्तराधिकारी मानने से इंकार कर दिया व अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने से इंकार कर दिया, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण की नकल ली, जिस पर पता चला कि उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थीगण का नाम अंकित नहीं किया, जिस पर उक्त अपील अपीलार्थीगण जानकारी 29.11.2024 से बिना किसी देरी के न्यायालय में पेश की गई है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 गलत व कानून विरूद्ध, नियमों को ताक में रखकर भरा गया है, जो निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

- अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाई जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर अधीनस्थ न्यायालय सरपंच, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा कानून के विरूद्ध मृतक के विधिक वारिसान के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

नहीं भरा गया है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः मृतक के समस्त वारिसान के नाम भरकर स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम रेस्पोंडेंट्स जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. बहस बकुलाय सुनी गई। अपीलांट्स वकील एवं वकील रेस्पो0 ने दौराने बहस प्रकरण से संबंधित कथनों का दोहरान किया।

4. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. अपीलांट वकील का कथन किया है कि सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर भरा गया, जो मृतक सरदारा कंजर के वारिसान के नाम न भरकर रामफूल पुत्र सरदारा कंजर के नाम भरा गया, जबकि सरदारा का पुत्र रामफूल न होकर जोमल्या एवं शैतान है एवं रामफूल के पिता का नाम चिरंजी कंजर है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा बिना जांच किये ही अपीलार्थीगण के बुजुर्गान सरदारा पुत्र देवबक्सा के समस्त वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 6 तथा रेस्पो0 संख्या 10 लगायत 13 एवं 18 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 09 के दादीससुर रामफूल कंजर के नाम भरा गया, जो गलत एवं अवैध है। क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा के समय मृतक सरदारा पुत्र देवबक्सा कंजर के विधिक वारिसान जोमल्या, शैतान (पुत्र), जाजम, बाबूड़ी (पुत्रियां) एवं कल्याणी के नाम भरा जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने फौरी तोर पर बिना जांच किये ही मृतक के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नहीं भरा जाकर गुप्त तरीके से मिलीभगत कर अन्य व्यक्ति को सरदारा का पुत्र मानकर उसके नाम भर दिया, जो गलत होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। नामान्तरकरण संख्या 591 रामफूल पुत्र सरदार कंजर के नाम स्वीकार हुआ था एवं रामफूल की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज हो गया। जबकि अपीलांट वकील द्वारा दौराने बहस पेश किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र में रामफूल के पिता का नाम चिरंजीलाल अंकित है एवं सरदार के पुत्र जोमल्या ए[illegible]रदार होने बाबत् अंकन उनके मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पहचान [illegible] अंकित है। इस प्रकार सरदार की मृत्यु के पश्चात् रामफूल के प[illegible]रकरण के गलत होने की पुष्टि होती है। वकील रेस्पो0 ने कथन किया है कि उक्त नामान्तरकरण अपील पूर्व में ही निरस्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

जा चुकी है, परन्तु उनके द्वारा अपने कथन के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:आदेश:—

अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 591 दिनांक 22.04.1973 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मृतक सरदारा पुत्र देवबक्सा के विधिक वारिसों की नियमानुसार जांच कर गुणावगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:11 IST
Reason: SelfAttested